भीम ❖ कार्यालय उप वन संरक्षक, जयपुर (उत्तर) ❖ घर-घर औषधि योजना

पुराना कोल डिपो, झोटवाडा रोड, पानी पेच, जयपुर–302016 e-mail dcfjaipurnorth@gmail.com Ph. 0141-2303165

क्रमांक :– एफ( ) FCA/उवसंजउ / 2021–22 / 7383 दिनांक 24-05-2022

निमित्त,

अधिशाषी अभियंता, सा0 नि0 विभाग,
जिला खण्ड–बस्सी (जयपुर)

विषयः– प्रस्ताव ''Upgradation of Road from Bhanpura Kalan to Gol Via Nagal Tulsidas, Toda Meena, Tala, Jaichandpura , Gathwari, Bobari , Under PMGSY-III, District -Jaipur (Rajasthan)& FP/RJ/ROAD/149378/2021 के क्रम में।

सन्दर्भः– आपके कार्यालय के पत्र क्रमांक Camp/Jpr/Spl-03 दिनांक 16.05.2022 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 4923 दिनांक 21.03.2022 द्वारा जारी EDS के क्रम में आपके कार्यालय के पत्र क्रमांक 2225 दिनांक 24.03.2022 (ऑन लाईन EDS दिनांक 11.04.2022) द्वारा प्रकरण में जवाब प्रेषित किया गया था। उक्त पत्र में वर्णित अनुसार सडक पर स्थित गांव में रहने वाले 75 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों का शपथ पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया था कि उक्त सडक 1980 से पूर्व की निर्मित हैं। जो कि वैद्यानिक दस्तावेज नही हैं। सडक निर्माण 1980 से पूर्व कराये जाने का प्रमाण मानचित्र सहित प्रस्तुत करने हेतु पूर्व में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 6153 दिनांक 6.07.2021, क्रमांक 6810 दिनांक 2.08.2021 द्वारा भी लिखा गया था। किन्तु आप द्वारा वर्ष 1980 से पूर्व का कोई रिकार्ड अथवा साक्ष्य इस कार्यालय में प्रस्तुत नही किया गया हैं। इसके पश्चात् इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 6625–27 दिनांक 29.04.2022 के द्वारा EDS किया गया था कि आप क्षेत्रीय वन अधिकारी, अचरोल के साथ पुनः निरीक्षण कर स्पष्ट रिपोर्ट प्रेषित करावें कि आप द्वारा कितनी लम्बाई एवं चौडाई में रोड का **Renewal & Strengthining** किया जावेगा एवं पूर्व में कितनी चौडाई व लम्बाई में डामर/ग्रेवल रोड बना हुआ हैं। साथ ही क्षेत्रीय वन अधिकारी, अचरोल के साथ दिनांक 10.03.2022 को आपके कार्यालय के प्रतिनिधि के साथ किये गये संयुक्त निरीक्षण उपरान्त बनाये गये मौका पंचनामा व कार्यालय में जमा कराई गयी पत्रावली के अनुसार सडक की चौडाई को लेकर दोनों बातों में विरोधाभाष हैं। उक्त के क्रम में आपके कार्यालय के पत्र क्रमांक Camp/Jpr/Spl-03 दिनांक 16.05.2022 द्वारा EDS का जवाब प्रेषित किया गया हैं। किन्तु उक्त पत्र से स्पष्ट नही हो रहा है कि आप द्वारा वास्तव में कितनी लम्बाई व चौडाई में सडक का निमार्ण किया जावेगा एवं उक्त सडक निर्माण में कितने वृक्ष काटे जावेगें। अतः उक्त के क्रम में क्षेत्रीय वन अधिकारी, अचरोल के साथ मौके का पुनः निरिक्षण कर संयुक्त रिपोर्ट प्रेषित करावे, साथ ही उक्तानुसार वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत जमा कराई गयी पत्रावलियों में भी संशोधन कर प्रस्ताव पुनः हार्डकॉपी व सोफ्टकॉपी प्रस्तुत करें।

(सुदीप कौर)
उप वन संरक्षक
जयपुर (उत्तर)

क्रमांक :– एफ( ) FCA/उवसंजउ / 2021–22 / दिनांक

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. क्षेत्रीय वन अधिकारी, अचरोल को देकर लेख है कि प्रकरण में यूजर ऐजेन्सी द्वारा बिना सक्षम स्वीकृति के प्रस्तावित स्थल पर किसी प्रकार का गैर वानिकी कार्य नही किया जावें।

उप वन संरक्षक
जयपुर (उत्तर)